## विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में भाग 'क' में ₹ 536 करोड़ शामिल करते हुए स्टॉम्प ड्युटी तथा पंजीकरण शुल्क पर उद्ग्रहण तथा संग्रहण पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा दो पैराग्राफ राजस्व के अवनिर्धारण/कम भुगतान/राजस्व की हानि इत्यादि हैं तथा भाग 'ख' में ₹ 182.89 करोड़ शामिल करते हुए एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा सात पैराग्राफ पर्यटन, सा.क्षे.उ. विद्युत तथा परिवहन विभाग इत्यादि से सम्बन्धित हैं, इस प्रकार इस प्रतिवेदन में दो निष्पादन लेखापरीक्षा तथा नौ लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल ₹ 718.89 करोड़ की कुल धन राशि सम्मिलित है। मुख्य निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

## भाग-क: राजस्व क्षेत्र

### सामान्य

वर्ष 2011-12 के ₹ 22,393.18 करोड़ की तुलना में वर्ष 2012-13 में सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 25,560.97 करोड़ थी। इनमें से 94 प्रतिशत प्राप्तियाँ कर राजस्व (₹ 23,431.52 करोड़) तथा गैर कर राजस्व द्वारा (₹ 626.93 करोड़) उत्थित हुई। शेष 6 प्रतिशत भारत सरकार से सहायता अनुदानों (₹ 1,502.52 करोड़) के रूप में प्राप्त हुई। पूर्व वर्ष की तुलना में कर राजस्व तथा गैर कर राजस्व में क्रमशः 17.32 प्रतिशत तथा 36.03 प्रतिशत वृद्धि हुई।

**(पैराग्राफ 1.1)**

वर्ष 2012-13 के दौरान व्यापार एवं कर, राज्य उत्पाद शुल्क, परिवहन, मनोरंजन, विलासिता एवं पण तथा राजस्व विभागों के 96 युनिटों के अभिलेखों की नमूना जाँच के 2238 मामलों में कुल ₹ 2,041.32 करोड़ के राजस्व का अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/राजस्व की हानि इत्यादि को दर्शाया। पिछले वर्षों तथा वर्ष 2012-13 के दौरान सम्बंधित विभागों ने 627 मामलों में शामिल ₹ 50.46 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया। विभागों ने वर्ष 2012-13 के दौरान छः मामलों में ₹ 5.61 लाख वसूल किए।

**(पैराग्राफ 1.10)**

### बिक्री कर/मूल्य वर्द्धित कर

263 मामलों ₹ 5,150.27 करोड़ की सम्मिलित राशि में से विभाग ने केवल 45 मामलों (17 प्रतिशत) शामिल ₹ 98.56 करोड़ का पुननिर्धारण किया। लेकिन केवल ₹ 8.15 करोड़ की राशि की वसूली ही की जा सकी। अपील सुनवाई प्राधिकरण (अ.सु.प्रा.) द्वारा मामलों का प्रतिपेषण ठीक नहीं था क्योंकि डी वैट अधिनियम के अंतर्गत मामलों के प्रतिपेषण का अधिकार उसके पास नहीं है।

**(पैराग्राफ 2.3.1(i)**

अ.सु.प्रा. ने एक प्राइवेट बैंक के सम्बन्ध में निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अवनिर्धारण आदेशों के प्रेषण में विलम्ब के कारण सभी डिफाल्ट निर्धारण आदेशों को एक तरफ रख दिया जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 480.12 करोड़ की मांग की वसूली नहीं हुई।

**(पैराग्राफ 2.3.2)**

अ.सु.प्रा. ने पुनर्निर्धारण आदेशों को इस आधार पर एक तरफ रख दिया कि निर्धारण प्राधिकारी ने आदेश कम्पयूटर सिस्टम के द्वारा पारित नहीं किया था तथा दोनों वर्षों के लिए एक तरफा आदेश पारित कर दिए जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 7.97 करोड़ की मांग की वसूली नहीं हुई।

**(पैराग्राफ 2.3.3)**

अ.सु.प्रा. ने निर्धारण तथा दण्ड आदेशों को इस आधार पर एक तरफ रख दिया कि अपीलों के प्रतिपेषण का अधिकार नहीं था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.71 करोड़ की माँग की वसूली नहीं हुई।

**(पैराग्राफ 2.3.4)**

## स्टांप ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क

**''स्टांप ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क के उद्ग्रहण तथा संग्रहण''** पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा का संचालन किया गया। कुछ मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

551 मामलों में स्टांप ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क के गैर-उद्ग्रहण के परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 28.05 करोड़ की स्टॉम्प ड्यूटी तथा ₹ 0.03 करोड़ के पंजीकरण शुल्क की हानि हुई।

**(पैराग्राफ 2.6.6.1)**

227 मामलों में स्टांप ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क में भूमि प्रयोग में परिवर्तन, त्रुटिपूर्ण गणना तथा उपकरणों के गलत वर्गीकरण के कारण सरकार को ₹ 5.31 करोड़ की स्टांप ड्यूटी तथा ₹ 0.69 करोड़ के रजिस्ट्रेशन शुल्क की हानि हुई।

**(पैराग्राफ 2.6.7)**

22 मामलों में स्टांप ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क पर गलत छूट के कारण सरकार को ₹ 1.04 करोड़ की स्टांप ड्यूटी तथा ₹ 0.22 करोड़ के पंजीकरण शुल्क की हानि हुई।

**(पैराग्राफ 2.6.8.1)**

523 कम्पनियों द्वारा आंबटित शेयरों पर स्टांप ड्यूटी की गैर-वसूली के परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 8.12 करोड़ की स्टांप ड्यूटी की हानि हुई

**(पैराग्राफ 2.6.9.1)**

# भाग-खः सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू)

## राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की स्थिति

31 मार्च 2013 तक दिल्ली में 17 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) थे - 15 सरकारी कम्पनियाँ एवं दो सांविधिक निगम। इन 17 पीएसयू में निवेश (पूँजीगत एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 28,043.99 करोड़ था। यह 2008-09 में ₹ 15,455.50 करोड़ से बढ़कर 81 प्रतिशत हो गया। 2012-13 के दौरान सरकार ने राज्य पीएसयू को ₹ 2,784.95 करोड़ अंशदान, ऋणों एवं अनुदानों/आर्थिक सहायता के रूप में योगदान दिया था।

**(पैराग्राफ 3.3 एवं 3.4)**

17 कार्यशील पीएसयू जिनके लेखे 30 सितम्बर 2013 तक प्राप्त किए गए थे, में से नौ पीएसयू ने ₹ 1,029.17 करोड़ का लाभ अर्जित किया, सात पीएसयू को ₹ 2,543.67 करोड़ का घाटा हुआ और एक पीएसयू में न हानि न लाभ की स्थिति थी।

**(पैराग्राफ 3.6)**

सितम्बर 2013 तक तीन पीएसयू के 12 लेखे बकाया थे। लेखों को अंतिम रूप देने में हुई देरी के परिणामस्वरूप कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ।

**(पैराग्राफ 3.7)**

अक्टूबर 2012 से सितम्बर 2013 के दौरान 21 लेखों में से 11 लेखों ने सशर्त प्रमाणपत्र प्राप्त किया था। पाँच कम्पनियों एवं दो निगमों के लेखों में लेखामानकों के अनुपालन न होने के 14 दृष्टांत थे।

**(पैराग्राफ 3.8)**

## निष्पादन लेखापरीक्षा तथा लेन–देन लेखापरीक्षा

**'दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड'** से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की गई थी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा उपलब्धियां इस प्रकार हैः

कम्पनी के पास अपने औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक प्लॉटों के 14,906 आबंटियों से प्राप्ति योग्य ₹ 99.67 करोड़ के भूतल किराये बकाया थे।

**(पैराग्राफ 4.1.4)**

जैसाकि इस सरकार के उद्देश्य कि जहाँ कहीं भी सीवर लाईनें और जल लाईनें डाल दी गई हैं केवल वहीं कंक्रीट की सड़क बनाई जाए, के विपरीत बिना यह सुनिश्चित किए कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवर लाईन तथा जल लाईन बिछाई गई हैं कम्पनी ने ₹ 206.96 करोड़ मूल्य की सीमेंट कंक्रीट की सड़क बना दी।

**(पैराग्राफ 4.1.5.1)**

विभिन्न परियोजनाओं के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति में अनियमितताओं को नोटिस किया गया। के.लो.नि.वि. निर्माण नियमावली के प्रावधानों की गैर-अनुपालना को संरचनात्मक ड्राईंग्स, अनुमोदित ले-आउट प्लान, परियोजनाओं के लिए समापन अवधि का नियत किया जाना, कार्यों का सौंपा जाना, बोलियों की औचित्य दरों को बनाए जाने तथा तकनीकी मूल्यांकन के संबंध में भी देखा गया।

**(पैराग्राफ 4.1.4.1,4.1.6.1,4.1.6.2,4.1.6.3,4.1.7.2,4.1.9.1,4.1.11)**

जैसाकि कम्पनी ने मॉस्टर प्लान दिल्ली 2021 के प्रावधानों के विरूद्ध जी+2 तथा जी+3 संरचना की आवासीय इकाईयों का निर्माण किया जोकि जी+3 तथा जी+4 संरचना की आवासीय ईकाईयों के सामने थी, इसलिए वह अतिरिक्त 3720 निम्न दर वाले आवास को बनाने के सुअवसर से वंचित हो गई।

**(पैराग्राफ 4.1.7.1)**

यू.ओ.एम.टी. आधार पर नरेला औद्योगिक एस्टेट पी.पी.पी. के वार्षिकी के लिए गलत प्रक्षेपण के कारण भविष्य में 2013-14 से 2028-29 की 15 वर्षों की अवधि के दौरान ₹ 91.5 करोड़ का परिहार्य बर्हिगमन हुआ।

**(पैराग्राफ 4.1.12)**

## लेन–देन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

### दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड

प्रचालक के चयन के लिए परामर्शदाता के चयन एवं नियुक्ति में हुई देरी के कारण ₹ 5.67 करोड़ की निधियों का अवरोधन।

**(पैराग्राफ 4.2.2)**

औपचारिक करार के अभाव एवं किसी भी लागत-लाभ विश्लेषण के गैर-संचालन के कारण दिल्ली विधान सभा में कैंटीन के परिचालन एवं प्रबंधन में ₹ 1.44 करोड़ की हानि।

**(पैराग्राफ 4.2.3)**

**इन्द्रप्रस्थ विधुत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड** द्वारा अग्रिम भुगतान किए गए आयकर की वसूली में विलम्ब किए जाने से उनकी राशि अवरूद्ध हो गई तथा डिस्काम्स को हुए अनावश्यक वित्तीय लाभ के कारण उन्हें ₹ 6.42 करोड़ के ब्याज की हानि वहन करनी पड़ी।

**(पैराग्राफ 4.3.1)**

**दिल्ली परिवहन निगम** को दो स्टाफ कालोनियों में स्टाफ क्वाट्र्स के अप्राधिकृत कब्जा किए जाने के कारण ₹ 53.59 करोड़ की परिहार्य हानि उठानी पड़ी।

**(पैराग्राफ 4.5.1)**